

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री सुखमोहन सुन्डी, पिता- टापु साहु सुन्डी, निवासी ग्राम- नरसन्डा, थाना- मुफ्फासिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- नरसन्डा, थाना नं०- 649 के अन्दर खाता नं०- 31, प्लॉट नं०- 1936, रकवा- 09 डी० 040 वर्गकड़ी भूमि क्रेता श्री विनोद सुन्डी, पिता- टुलु सुन्डी, ग्राम- नरसन्डा, थाना- मुफ्फासिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादी के नाम हालसर्वे खतियान में दर्ज है। पिता के मृत्यु के पश्चात् अंशदार वही है। आवेदक के पिता के समय में आपसी बांटवरा में पाया हुआ निज दखल जमीन है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 895, दिनांक- 30.12.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज करवाने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता श्री विनोद सुन्डी, पिता- टुलु सुन्डी, ग्राम- नरसन्डा, थाना- मुफ्फासिल के पास 1,56,200.00/- (एक लाख छप्पन हजार दो सौ) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मुफ्फासिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति प्रयाप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक श्री सुखमोहन सुन्डी, पिता- टापु साहु सुन्डी, निवासी ग्राम- नरसन्डा, थाना- मुफ्फासिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने भूमि क्रेता श्री विनोद सुन्डी, पिता- टुलु सुन्डी, ग्राम- नरसन्डा, थाना- मुफ्फासिल के पास जमीन को 1,56,200.00/- (एक लाख छप्पन हजार दो सौ) रुपये में मौजा- नरसन्डा, थाना नं०- 649 के अन्दर खाता नं०- 31, प्लॉट नं०- 1936, रकवा- 09 डी० 040 वर्गकड़ी जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।